



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 12.02.2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि (51 दिन) व 1500/- रू० जुर्माने से दण्डित किया गया।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं० 06/2008 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रमेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र स्वर्गीय शिवमूरत पाण्डेय निवासी औढ़े थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाए हुए जेल में बिताई गई अवधि (51दिन) व ₹1500 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी